

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या
उद्दिष्ट पूर्तीसाठी मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक ग्रापा०-१००६/प्र.क्र.२८८/पा०-०७
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑगस्ट, २००६

- वाचा :- (१) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. ग्रापा०-१०९९/प्र.क्र.३२८/पा०-०७, दिनांक २७ जुलै, २०००
(२) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. ग्रापा०-१००१/प्र.क्र.१९०/पा०-०७, दिनांक ३ सप्टेंबर, २००१
(३) शासन परिपत्रक, पा.पु.व स्व.वि., क्र. ग्रापा०-१००५/प्र.क्र.१३/पा०-०७, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २००५
(४) शासन परिपत्रक, पा.पु.व स्व.वि., क्र. ग्रापा०-१००५/प्र.क्र.७४(२)/पा०-०७, दिनांक २ मे, २००५
(५) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. ग्रापा०-१००५/प्र.क्र.८५/पा०-०७, दिनांक ९ मे, २००५
(६) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. ग्रापा०-१००५/प्र.क्र.१५६/पा०-०७, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २००५
(७) शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्र. ग्रापा०-१००५/प्र.क्र.१६७/पा०-०७, दिनांक ५ डिसेंबर, २००५
(८) मा. प्रधान सचिव, पा.पु.व स्व.वि. यांचे अ.शा.पत्र क्रमांक ग्रापा०-१००६/प्र.क्र.२८८/पा०-०७,
दिनांक ३० जून, २००६

शासन परिपत्रक :

ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत ज्या गावांना / वाड्यांना दरडोई दरदिवशी ४० लिटर पेक्षा कमी पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत आहे अशी गावे / वाड्या हाताळण्यासाठी जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा या कार्यान्वयन यंत्रणांनी एकत्रितरित्या " सर्वसमावेशक कृती आराखडा-१९९९ " (Comprehensive Action Plan-१९९९) (CAP-९९) तयार केला होता. उपलब्ध माहितीनुसार या कृती आराखडयामधील ८५,९३० गावे / वाड्यापैकी २२,७३८ गावे / वाड्या (NC-३२७ व PC-२२,४१) दिनांक ०१.०४.२००५ पर्यंत हाताळावयाच्या शिल्लक होत्या. (जिल्हानिहाय संख्या दर्शविणारी यादी सोबत जोडली आहे.)

२. केंद्र शासनाने, भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाचा समावेश करून " सर्वसमावेशक कृती आराखडा-१९९९ " (CAP-९९) मधील दिनांक १.४.२००५ पर्यंत न हाताळलेल्या गावांना / वाड्यांना पुढील ४ वर्षांत हाताळण्यासाठी (दरडोई दरदिवशी ४० लिटर प्रमाणे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी) कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, जिल्हा परिषदा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून जिल्ह्यांचा गाव / वाडी निहाय कृती आराखडा तयार करून घेऊन तो केंद्र शासनास पाठविण्यात आला असून, ही माहिती जिल्हा परिषदांकडे उपलब्ध आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या www.ddws.nic.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत या सर्व गावे / वाड्यामधील योजनांच्या अंमलबजावणीचे केंद्र शासनामार्फत नियमितपणे सनियंत्रण करण्यात येत आहे.

३. भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनास सादर केलेल्या या कृती आराखडयानुसार, केंद्र शासनाने राज्यास ठरवून दिलेले सन २००६-०७ या आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना ठरवून दिले

असून, या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी उपलब्ध होणारा नियतव्यय संदर्भीय क्रमांक ८ येथील अ.शा. पत्रान्वये सर्व जिल्हा परिषदांना कळविण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्राप्त होणा-या निधीचा समावेश नाही. त्यामुळे, जिल्हायास प्राप्त होणारा निधी संदर्भीय क्रमांक ८ मधील अ.शा. पत्रान्वये कळविण्यात आलेल्या नियतव्ययापेक्षा अधिक आहे.

४. संदर्भीय क्रमांक ८ येथील अ.शा. पत्रात नमूद केल्यानुसार मागणी आधारीत समूह सहभागातून योजना राबविताना जिल्हा परिषदांना एवढया मोठ्या प्रमाणात जबाबदारी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जिल्हा परिषदांना ठरवून दिलेले हे उद्दिष्ट म्हणजे, " सर्वसमावेशक कृती आराखडा-१९९९" (CAP-९९) मधील दिनांक १.०४.२००५ रोजी न हाताळलेल्या NC / PC गावांना / वाड्यांना FC करण्याचे आहे. या सर्व गावांमध्ये / वाड्यांमध्ये नविनच योजना घेतली पाहिजे असे नाही. तरी अस्तित्वातील योजनांचा / साधनसंपत्तीचा वापर करून त्या गावास / वाडीस निकषानुसार (दरडोई दरदिवशी ४० लिटर प्रमाणे) पाणी पुरवठा उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था प्राथम्याने केली पाहिजे. जी गावे / वाड्या PC प्रवर्गात आहेत त्या गावे / वाड्यांत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची सार्वजनिक पाणी पुरवठ्याची सोय उपलब्ध आहे. परंतु, ती गावे / वाड्या PC असण्याची सर्वसाधारण कारणे, पाणी पुरवठ्याच्या उपलब्ध सोयी मधून उन्हाळ्यामध्ये निकषानुसार (दरडोई दरदिवशी ४० लिटर प्रमाणे) पिण्याचे पाणी उपलब्ध न होणे व अस्तित्वातील योजना विविध कारणास्तव नादुरुस्त / बंद असणे, ही आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पाणी पुरवठ्याच्या योजनांच्या स्त्रोतांचे पुनःभरण करून / नादुरुस्त योजना दुरुस्त करून घेऊन त्यातून निकषानुसार (दरडोई दरदिवशी ४० लिटर प्रमाणे) पाणी पुरवठा उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. नवीन योजना घेणे हा शेवटचा पर्याय असावा. त्यासाठी, जिल्हा स्तरावर नियोजन करून अंमलबजावणीचा कृती आराखडा तयार करणे, तयार केलेल्या कृती आराखड्यानुसार गावांची / वाड्यांची निवड करणे, निवडलेल्या गावांची क्षमता बांधणी करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांना सहाय्य करणे व जिल्हातील या कार्यक्रमाचे सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदांना पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत :-

अ) नियोजन :-

(i) पूर्व तयारी :-

जिल्हायास ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार NC / PC गावे / वाड्या FC करण्याचे नियोजन करण्यापूर्वी " सर्वसमावेशक कृती आराखडा-१९९९ " (CAP-९९) मधील दिनांक १.४.२००६ रोजी न हाताळलेल्या गावांची / वाड्यांची अद्ययावत यादी उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. ही यादी पुढील पध्दतीने तयार करावी :-

- १) " सर्वसमावेशक कृती आराखडा-१९९९ " (CAP-९९) मधील NC, PC व FC गावांची / वाड्यांची दिनांक ०१.०४.१९९९ ची यादी जिल्हा परिषदांनी शासनास सादर केली होती. ती जिल्हा परिषदांकडे उपलब्ध आहे. तथापी, जिल्हा परिषदांनी शासनास सादर केलेली यादी सोबत CD मध्ये पाठविण्यात येत आहे.
 - २) सन १९९९ पासून ३१ मार्च २००६ पर्यंत खाली नमूद केलेल्या विविध कार्यक्रमांमधून या यादी मधील NC/PC गावे / वाड्यांचा प्रश्न सोडविण्यात येवून FC झालेल्या गावे / वाड्यांची नोंद सदर यादी मधील संबंधित गावाच्या / वाडीच्या नावापुढे घेण्यात यावी. ही नोंद घेताना ते गाव / वाडी हाताळण्याचे वर्ष, घेण्यात आलेली उपाय योजना व कार्यान्वयन यंत्रणा यांचीही नोंद घेण्यात यावी. (ही नोंद घेण्याबाबतचा नमूना सोबत परिशिष्ट-II मध्ये जोडला आहे.)
- (१) किमान गरजा कार्यक्रम- GEN, SCP, TSP, OTSP, etc.
 (२) वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (ARWSP)

- (३) स्वजलधारा
- (४) महाजल
- (५) जागतिक बँक प्रकल्प / बाह्य अर्थसहायीत प्रकल्प
- (६) शिवकालीन पाणी साठवण योजना
- (७) मा. पंतप्रधानांनी स्वातंत्रदिनी जाहिर केलेली योजना
- (८) वैधानिक विकास कार्यक्रम
- (९) स्थानिक विकास निधी
- (१०) टंचाई कार्यक्रम
- (११) ११ वा वित्त आयोग
- (१२) जिल्हा देखभाल व दुरुस्ती निधी
- (१३) इतर कार्यक्रम

३) वरील प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर दि. १.४.२००६ रोजी जिल्हयातील **CAP-११** मधील न हाताळलेल्या **NC/PC** गावांची / वाड्यांची यादी उपलब्ध होईल. ही यादी भारत निर्माण कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी व गावे / वाड्या निवडण्यासाठी पायाभूत यादी (Base List) म्हणून वापरावी.
(सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-III मधील नमुन्या नूसार)

(ii) नियोजन करणे :-

वरील प्रमाणे पायाभूत यादी उपलब्ध झाल्यावर या पायाभूत यादी मधील गावांना / वाड्यांना FC करण्यासाठीचे नियोजन खालील प्रमाणे करावे :-

- (१) या पायाभूत यादीमध्ये, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत / जिल्हा परिषदेमार्फत अथवा मागणी आधारित लोकसहभागाच्या धोरणानुसार संबंधित ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत विविध योजनांतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे तशी नोंद यादीमधील त्या गावांच्या / वाडीच्या नावापुढे घेण्यात यावी.
- (२) अशा प्रकारे कार्यवाही केल्यानंतर पायाभूत यादीमधील उर्वरित गावे / वाड्यांमध्ये नवीन योजना न घेता खालील प्रमाणे विश्लेषण करावे :-
 (अ) पायाभूत यादीमधील गावांमध्ये / वाड्यांमध्ये यापूर्वी पाणी पुरवठा योजना घेण्यात आल्या आहेत. परंतु, सदर योजना काही कारणांमुळे बंद / नादुरुस्त झाल्या असल्याने ते गाव / वाडी PC प्रवर्गात आलेले आहे. जर, योजना सुरु / दुरुस्त करण्यासाठी येणारा खर्च त्या गावासाठी / वाडीसाठी नवीन योजना घेण्याच्या खर्चापेक्षा कमी असेल तर, त्यानुसार ती बंद / नादुरुस्त योजना दुरुस्त करून ते गाव / वाडी FC करावे. यासाठी येणारा खर्च जिल्हयास उपलब्ध करून दिलेल्या नियतव्यया मधून करण्यात यावा. (स्वजलधारा योजनेचा नियतव्यय वगळून). मात्र, योजनेवरील आवर्ती खर्च अथवा थकीत वीज देयकांचा खर्च यामधून करता येणार नाही. त्यासाठी १२ व्या वित्त आयोगाचा अथवा इतर निधी वापरण्यात यावा.
 (ब) पायाभूत यादीमधील काही गावांमध्ये / वाड्यांमध्ये स्त्रोत आटल्यामुळे अथवा स्त्रोत अपुरा पडत असल्याने ते गाव / वाडी PC प्रवर्गात आले आहे म्हणून त्या गावात / वाडीत स्त्रोत पुनःभरणाच्या उपाययोजना करून ते गाव / वाडी FC करावे.
 यासाठी शिवकालीन पाणी साठवण योजनेअंतर्गत दिलेला निधी वापरण्यात यावा. हा निधी अपुरा पडत असल्यास जिल्हयास वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या नियतव्ययामधील निधी वापरण्यात यावा.

- (क) वरील प्रमाणे अस्तित्वातील योजनेची दुरुस्ती करणे अथवा स्नोत पुनःभरण करणे या उपाययोजनांची अंमलबजावणी संबंधित गावच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फतच करण्यात यावी.
- (३) वरील प्रमाणे नियोजन केल्यानंतर पायाभूत यादीमधील न हाताळलेली जी गावे / वाड्या शिल्लक राहतील फक्त त्याच NC / PC गावांमध्ये / वाड्यांमध्ये नव्याने योजना घ्यावी. नवीन योजना घेताना NC गावे / वाड्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे.
- (४) वरील (१), (२) व (३) मध्ये अंतर्भूत गावांची / वाड्यांची संख्या विचारात घेऊन सन २००६-०७ करीता जिल्ह्यास दिलेल्या उद्दिष्ट पर्यंत PC प्रवर्गामधून गावांची / वाड्यांची निवड पुढील प्रमाणे करावी.

ब) गावांची निवड :-

- (१) जिल्ह्याच्या पायाभूत यादीमधील न हाताळलेल्या गावे / वाड्यांची तालुकानिहाय यादी करून घ्यावी.
- (२) जेथे नवीन योजना घ्यावयाची आहे त्या गावच्या / वाडीच्या सर्व गावांचे सरपंच / ग्रामसेवक व जेथे ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यापूर्वी गठीत झालेली आहे तेथील या समितीचे अध्यक्ष यांची बैठक पुढील आठ दिवसात तालुकास्तरावर बोलवावी.
- (३) या बैठकीसाठी पंचायत समितीचे सभापती, गट विकास अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद व भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा या यंत्रणांच्या तालुक्यातील / जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांना सहभागी करून घेण्यात यावे. या बैठकीचे आयोजन व सनियंत्रण संबंधित गट विकास अधिका-यांनी करावे.
- (४) या बैठकीत ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाबाबत शासनाच्या मागणी आधारीत लोक सहभागाच्या धोरणाची माहिती देण्यात येवून संबंधित गावाकडून / वाडीकडून पाणी पुरवठा योजनेसाठी मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत त्यांना सांगण्यात यावे. ही मागणी करताना त्यांनी गाव / वाडी स्तरावर पूर्ण करावयाच्या बाबींची माहिती त्यांना देण्यात यावी. उदा. ग्रामसभा घेऊन ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन करणे, योजनेची निवड करणे, तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करणे, कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे, इत्यादी. त्याच वेळेस गावास उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांबाबतची माहिती देण्यात यावी.
- (५) अशा प्रकारे कार्यवाही केल्यानंतर सदर गावे / वाड्यांना पाणी पुरवठा योजनेच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यास पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात यावी. त्या मुदतीत जे प्रस्ताव प्राप्त होतील ते जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात यावेत. जिल्हा परिषदेने प्राप्त प्रस्तावांची प्राथम्य यादी तयार करून त्यास मान्यता द्यावी.
- (६) जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यास उपलब्ध करून दिलेल्या नियत व्यावया रकमेच्या दिडपट रकमेत बसतील एवढया किंमतीच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- (७) प्राथम्य यादीमधील ज्या गावे / वाड्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही, अशी गावे / वाड्या हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी शासनाकडे करावी. ही मागणी करताना सन २००६-०७ मध्ये जिल्ह्यास ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टपेक्षा अधिक गावे / वाड्या हाताळण्यासाठी मागणी करण्यात येवू नये.
- (८) अशी मागणी करताना जिल्ह्याचा कृती आराखडा (**परिशिष्ट-I प्रमाणे**) सोबत पाठविण्यात यावा. या कृती आराखडयात सन १९९९ पासून विविध कार्यक्रमांतर्गत हाताळलेल्या गावे / वाड्यांची वरील प्रमाणे केलेली यादी, प्रगतीपथावरील योजनांची यादी (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (**परिशिष्ट-IV**) व जिल्हा परिषद (**परिशिष्ट-V**), दुरुस्त करावयाच्या योजनांची यादी (**परिशिष्ट-VI**), पुनःभरण करून प्रश्न सोडविण्यात येणा-या योजनांची यादी (**परिशिष्ट-VII**) व नव्याने योजना घ्यावयाच्या योजनांची यादी (**परिशिष्ट-VIII**) सोबत पाठविण्यात यावी. (अशी मागणी राज्य शासनाकडे दि. ३० ऑक्टोबर, २००६ पर्यंत पाठविण्यात यावी)

क) क्षमता बांधणी :-

- (i) नवीन योजना घेण्यासाठी ज्या गावांची निवड केली जाईल अथवा ज्या गावांमधील / वाडयांमधील अस्तित्वातील योजनांची दुरुस्ती करून / स्त्रोत पुनःभरण करून ती गावे / वाडयां FC करावयाच्या आहेत अशा गावांची क्षमता बांधणी करणे आवश्यक असल्याने अशा गावच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची व सामाजिक लेखा परिक्षण समितीची क्षमता बांधणी करण्यासाठी तीन दिवसांची कार्यशाळा सोईनुसार जिल्हास्तरावर अथवा तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात यावी. या कार्यशाळेत त्यांना प्रामुख्याने पुढील बाबींची माहिती करून देण्यात यावी :-
- (१) ग्रामसभा / ग्रामपंचायत यांचे ग्रामीण पाणी पुरवठयाच्या सुधारित धोरणातील अधिकार
 - (२) मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ चे सुधारित कलम ४९ नुसार ग्रा.पा.पु. व स्व. समितीची कर्तव्ये, जबाबदा-या व अधिकार
 - (३) सामाजिक लेखा परिक्षण समिती व तिची कार्ये
 - (४) योजनेची निवड / दुरुस्तीची निवड / स्त्रोत पुनःभरणासाठी उपाय योजनेची निवड
 - (५) सहाय्यकारी संस्थांची / तांत्रिक सल्लागारांची भूमिका, त्यांची निवड व नियुक्ती
 - (६) निविदा कार्यपद्धती
 - (७) योजनेची अंमलबजावणी करणे
 - (८) योजनेचे लेखे ठेवणे
 - (९) योजनेच्या विविध टप्प्यावरील प्रगतीबाबत माहिती देणे.
 - (१०) गाव हागणदारी मुक्त करणे.
 - (११) योजनेचे व्यवस्थापन, देखभाल व दुरुस्ती
- (ii) वरील प्रमाणे निवडलेल्या गावांची / वाडयांची क्षमता बांधणी करणे व गावात सहभागी गाव मुल्यावलोकन (Participatory Rural Appraisal) (PRA) करण्यासाठी प्रत्येक गावास / वाडीस रु. ५०००/- (रु. पाच हजार फक्त) एवढा निधी देण्यात यावा. गावास / वाडीस दिलेल्या या निधी मधून वरील प्रमाणे क्षमता बांधणीसाठी येणारा खर्च भागवावा.

ड) मंजुरी प्रदान करणे :-

वरील प्रमाणे निवड केलेल्या गावाची / वाडीची क्षमता बांधणी पूर्ण झाल्यावर पुढील पंधरा दिवसात गावाने / वाडीने योजनेची प्राकलने व आराखडे तयार करून त्यास गावच्या ग्रामसभेत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करून तांत्रिक व आर्थिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला सादर करावा. जिल्हा परिषदेने शासनाचे प्रचलित आदेश विचारात घेवून प्रस्तावाची जिल्हा स्तरावर तपासणी करावी व प्राकलने व आराखडे सादर केल्याच्या दिनांकापासून कार्यालयीन कामकाजाचे १० दिवसात सदर प्रस्तावास तांत्रिक व आर्थिक मंजुरी प्रदान करावी.

इ) गावास / वाडीस निधी उपलब्ध करून देणे :-

- (i) योजनेच्या तांत्रिक मंजुरी आदेश सोबतच आर्थिक मंजुरीचे आदेश देऊन शासन सहभागाच्या रकमेपैकी ४५ % निधी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या बँक खात्यात जिल्हा परिषदेकडून जमा करण्यात यावा.
- (ii) योजनेसाठी मुक्त केलेली शासन सहभागाची रक्कम व लोकसहभागाची रक्कम या एकूण जमा रकमेपैकी किमान ८०% एवढा खर्च झाल्यानंतर त्याबाबतची आवश्यक प्रमाणपत्रे ग्रामपंचायतीच्या ग्राम सामाजिक

- लेखा समितीच्या शिफारशीसह जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती तपासणी करून व गाव हागंणदारी मुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाचे ८ दिवसात योजनेसाठी द्यावयाच्या शासन सहभागाच्या रकमेपैकी आणखी ३० % निधी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या बँक खात्यात जिल्हा परिषदेकडून जमा करण्यात यावा.
- (iii) योजनेसाठी मुक्त केलेली शासन सहभागाची रक्कम व लोकसहभागाची रक्कम या एकूण जमा रकमेपैकी किमान ८० % एवढा खर्च झाल्यावर नंतर गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराचे प्रमाणपत्र, योजनेत गावाने नेमलेल्या सनदी लेखापालाकडून योजनेच्या आता पर्यंतच्या कामाचे लेखा परिक्षण करून घेऊन त्याबाबतचा सनदी लेखापालांचा विहित नमुन्यातील अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या सहीने व ग्राम सामाजिक लेखा परिक्षण समितीच्या प्रतिस्वाक्षरीने जिल्हा परिषदेकडे सादर झाल्यावर कार्यालयीन कामकाजाचे ८ दिवसात योजनेसाठी द्यावयाच्या शासन सहभागाच्या रकमेपैकी उर्वरित २५ % निधी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या बँक खात्यात जिल्हा परिषदेकडून जमा करण्यात यावा.
- (iv) योजनेचे काम पूर्ण झाल्यावर, योजनेतील लाभधारक महिलांच्या महिला मंडळाने अथवा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ४९ अन्वये गावात महिला विकास समिती गठीत केली असल्यास, या समितीने दिलेले पाणी पुरवठा योजनेचे काम समाधानकारक झाले आहे असे प्रमाणपत्र, गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराचा काम पूर्णत्वाचा दाखला व जिल्हा परिषदेच्या तांत्रिक पर्यवेक्षकाने योजनेचे काम पूर्ण व गुणवत्तापूर्ण असल्याचे दिलेले प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर गावाने नेमलेल्या सनदी लेखापालाकडून योजनेचे लेखा परिक्षण करून घेऊन सामाजिक लेखा परिक्षण समितीच्या शिफारससह पूर्तता अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात यावा.
- (v) स्वजलधारा योजनेत अंतर्भूत असलेल्या योजनांसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनां नुसार शासन सहभागाचा पहिला हप्ता ७५ % रकमेचा देण्यात यावा. योजनेसाठी मुक्त केलेली शासन सहभागाची रक्कम व लोकसहभागाची रक्कम या एकूण जमा रकमेपैकी किमान ६० % एवढा खर्च झाल्यावर गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराचे प्रमाणपत्र, योजनेत गावाने नेमलेल्या सनदी लेखापालाकडून योजनेच्या आता पर्यंतच्या कामाचे लेखा परिक्षण करून घेऊन त्याबाबतचा सनदी लेखापालांचा विहित नमुन्यातील अहवाल व विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रासह जिल्हा परिषदेस सादर करावा. जिल्हा परिषदेने जिल्हायाचा एकत्रित प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यासाठी शिफारशीसह या विभागास सादर करावा. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून निधीचा उर्वरित २५ % हप्ता जिल्हा परिषदेकडे जमा करण्यात येईल. पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचा एकमेकाशी परस्पर संबंध असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत मंजूर झालेल्या योजनेमध्ये सहभागी होताना गाव १०० % हागंदारी मुक्त करण्यात येईल असा ठराव करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित गावास निधीचा पहिला हप्ता मुक्त करण्यात यावा. निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करताना संबंधित गाव १०० % हागंदारी मुक्त होणे आवश्यक आहे. तरच, निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करण्यात यावा. तथापि, एखाद्या प्रकरणी काही कारणास्तव गाव हागंदारी मुक्त करण्यात अडचण येत आहे व त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेस निधीचा दुसरा हप्ता मुक्त करता येत नाही अशा प्रकरणी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकां-यांनी या संदर्भात जाणीव पूर्वक निर्णय घ्यावा.
- (vi) **इ) सहाय्य करणे :-**
- (१) जिल्हा स्तरावर सक्षम तांत्रिक व सामाजिक सेवा पुरवठादारांचे पॅनेल तयार करून, ही यादी ग्राम पंचायतीना पुरविण्यात यावी. जलस्वराज्य अथवा इतर कार्यक्रमासाठी तयार केलेले पॅनेल वापरण्यास हरकत नाही.

- संबंधित गावांनी / वाड्यांनी यासाठीचा खर्च योजनेत प्रकल्प व्यवस्थापन व तांत्रिक सल्लागार शुल्क देण्यासाठी करण्यात आलेल्या ५ % तरतूदीमधून करावा.
- (२) जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत वेगवेगळ्या क्षमतेचे व भौगोलिक परिस्थितीनुरूप उपयोगी साठवण टाकीचे (भूपृष्ठावरील व उंचावरील) डिझाइन्स तयार करून घेण्यात आली आहेत. ही साठवण टाकीची डिझाइन्स गावांनी वापरावी. जिल्हा परिषदांनी ही डिझाइन्स गावांना व तांत्रिक सेवा पुरवठादारांना उपलब्ध करून द्यावीत.
- (३) जिल्हयातील चुकीचे काम करणारे कंत्राटदार व सेवा पुरवठादार यांची काळी यादी तयार करून अशा व्यक्तीकडून काम करून घेऊ नये अशा त-हेचा निर्देश ग्रामपंचायर्तीना देण्यात यावा.
- (४) ग्रामपंचायत स्तरावर होणा-या कामांच्या व खरेदी केलेल्या मालाच्या प्रतीची व गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी जिल्हयातील तांत्रिक शैक्षणिक संस्था, प्रयोगशाळा व इतर संस्थांची यादी तयार करून ती ग्रामपंचायर्तीना पुरविण्यात यावी व जबाबदारी काही संस्थांना सोपवावी.
- (५) योजनेच्या विशिष्ट टप्प्यावर महत्वाची तांत्रिक तपासणी करून संनियंत्रण ठेवण्यात यावे. तसेच गावाने नेमलेल्या तांत्रिक सल्लागाराशी वेळोवेळी समन्वय ठेवण्यात यावा.
- (६) गावाने नेमलेल्या हिशोबनिसाला (Accountant) तसेच इतरांना घ्यावयाची आवश्यक प्रशिक्षणे, गावाला बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी पूर्ण करावी लागतील. जिल्हा परिषदेने यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिरे स्वतः किंवा सक्षम प्रशिक्षण संस्थेच्या सहाय्याने आयोजित करावी.

फ) संनियंत्रण करणे :-

योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा विविध स्तरावर वेळोवेळी घेण्यात यावा. यासाठी जिल्हा स्तरावर, तालुकास्तरावर उपलब्ध असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उप विभागाचा वापर करून घेण्यात यावा. जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या मधील समन्वयाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रत्येक जिल्हयासाठी यापूर्वी नेमलेल्या एका अभियंत्यावर सोपविण्यात यावी. योजनेचे ऑनलाईन मॉनिटरिंग करण्यात यावे.

५. केंद्र शासनाकडून वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत राज्यास प्राप्त होणा-या निधी पैकी ३५ % पर्यंतचा ज्या गावाची / वाडीची अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४० % पेक्षा अधिक आहे अशा गावावर / वाडीवर खर्च करणे आवश्यक आहे. आपल्या जिल्हयातील अशा गावांची / वाड्यांची यादी सोबत पाठविण्यात येत आहे. वरील प्रमाणे CAP-९९ मधील NC / PC गावे / वाड्यांचा कृती आराखडा तयार करताना जिल्हयास वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणा-या निधी मधून ३५ % पर्यंतचा निधी अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४० % पेक्षा अधिक असणा-या वरील यादीतील गावावर / वाड्यांवर होईल याची दक्षता घ्यावी.

६. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भात नमूद शासन आदेशान्वये वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे.

७. वरील प्रमाणे कार्यवाही करून दिनांक २ ऑक्टोबर, २००६ पर्यंत योजनांची कामे सुरु होतील व जिल्हयास दिलेले उद्दिष्ट लवकरात लवकर पूर्ण होईल असे पहावे.

८. सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २००६०८२११७३०५१००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

(वि. शं. धुमाळ)
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व)

विभागीय आयुक्त (सर्व)

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई

संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे

सर्व जिल्हाधिकारी

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

सर्व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई

सर्व जिल्हा परिषदाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

सर्व जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

सर्व कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद

सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा

सर्व जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा

सर्व कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

सर्व तहसिलदार

सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती

सर्व उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद

सर्व उप अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने

निवडनस्ती, कार्यासन क्रमांक पापु-०७

शासन परिपत्रक, पापुवस्ववि, क्रमांक ग्रापापु-१००६/प्र.क्र.२८८/पापु-०७, दिनांक २१ ऑगस्ट, २००६ चे
सहपत्र

| अ.क्र. | जिल्हा परिषद | CAP-९९ ची दि. १.४.२००६ ची स्थिती | |
|--------|--------------|----------------------------------|-------|
| | | NC | PC |
| १. | ठाणे | ० | १३६७ |
| २. | रायगड | ० | १७६३ |
| ३. | रत्नागिरी | १०६ | १६८४ |
| ४. | सिंधुदुर्ग | १५ | २८७ |
| ५. | नाशिक | ० | ८८४ |
| ६. | धुळे | ० | ३०६ |
| ७. | नंदुरबार | ४६ | २९४ |
| ८. | जळगाव | १४ | ५२७ |
| ९. | अहमदनगर | २० | ४२९७ |
| १०. | पुणे | ४३ | २०३१ |
| ११. | सातारा | ० | १४१३ |
| १२. | सांगली | १८ | ८२६ |
| १३. | सोलापूर | ० | ६५ |
| १४. | कोल्हापूर | ० | ७३६ |
| १५. | औरंगाबाद | २६ | ९६४ |
| १६. | जालना | ० | २२३ |
| १७. | परभणी | ० | ४३५ |
| १८. | हिंगोली | ० | २७१ |
| १९. | बीड | ९ | ७९९ |
| २०. | नांदेड | ६ | ५१० |
| २१. | उस्मानाबाद | १८ | ३१४ |
| २२. | लातूर | ० | १८८ |
| २३. | बुलढाणा | ० | २९८ |
| २४. | अकोला | ३ | ३२९ |
| २५. | वाशिम | ० | २७५ |
| २६. | अमरावती | ३ | २५२ |
| २७. | यवतमाळ | ० | ३२९ |
| २८. | वर्धा | ० | १४४ |
| २९. | नागपूर | ० | २७० |
| ३०. | भंडारा | ० | ७ |
| ३१. | गोंदिया | ० | ५ |
| ३२. | चंद्रपूर | ० | ३०६ |
| ३३. | गडचिरोली | ० | १२ |
| एकूण | | ३२७ | २२४११ |

ANNEXURE-I

| Position as on 01.04.1999 as per Comprehensive Action Plan-1999 (CAP-99) (Annexure-II) | | TOTAL | NC | PC | FC |
|--|--|---|--|--|-----------------|
| Habitation tackled during | | TOTAL | NC | PC | |
| (1) 1.4.1999 to 31.03.2000 | | | | | |
| (2) 1.4.2000 to 31.03.2001 | | | | | |
| (3) 1.4.2001 to 31.03.2002 | | | | | |
| (4) 1.4.2002 to 31.03.2003 | | | | | |
| (5) 1.4.2003 to 31.03.2004 | | | | | |
| (6) 1.4.2004 to 31.03.2005 | | | | | |
| (7) 1.4.2005 to 31.03.2006 | | | | | |
| Total Habitation tackles from 01.04.1999 to 31.03.2006 | | TOTAL | NC | PC | |
| Uncovered habitations of CAP-99 as on 01.04.2006 (Base List) (Annexure-III) | | | | | |
| Out of uncovered habitations as on 01.04.2006 | | AMOUNT REQUIRED PLAN (Rs. In Lakh) | | | |
| (1) Habitations included in ongoing Schemes implemented by | | TOTAL | NC | PC | AS PER ACTION |
| (a) Maharashtra Jeevan Pradhikarn (Annexure-IV)* | | | | | |
| (b) Zilla Parishad / VWSC (Annexure-V) | | | | | |
| (2) Habitations included in non functioning scheme for the need of repairs & maintenance (Annexure-VI) | | | | | |
| (3) Habitations likely to become FC after taking Source Strengthening measures (Annexure-VII) | | | | | |
| (4) Habitations where New Schemes are required to be taken (Annexure-VIII) | | | | | |
| * Funds for completing ongoing schemes of MJP shall be made available by MJP | | (I) TOTAL AMOUNT REQUIRED | (II) TOTAL FUNDS AVAILABLE WITH ZP FROM ALL SOURCES | (III) ADDITIONAL FUND REQUIREMENT | (I)-(II) |

ANNEXURE-II

ANNEXURE-II

| State Code | District Code | District Name | Block Name | Block Code | Village Name | Village Census Code | Habitation Name | Habitation Code | Habitation Population | Source Distance | Source Head | Source Quality | Category | Required Source | Estimated Cost ARWS | Estimated Cost MNP | Estimated Expenditure ARWSP | Estimated Expenditure ARWSP | Estimated Expenditure ARWSP | |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 AMBARWAS | W | 105 M | 24 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 PUNE | BARAMATI | 9 | 0 JALOCHI | 0 | 0 | MALGUNDE | W | 0 L | 3 P | PC4 | SUBSURFACE | 81.97 | 2.87 | 67.68 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BARAMATI | 9 | 0 VAIDUKAR | 0 | 0 | W | W | 0 M | 11 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BARAMATI | 9 | 0 MODHAVE | 0 | 0 | BALGUTEWAR | W | 100 M | 0 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BARAMATI | 9 | 0 BHAGAT WASTI | 0 | 0 | BHAGAT WASTI | W | 50 M | 0 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 0 NAVALE VASTI | 0 | 0 | NAVALE VASTI | W | 86 M | 72 P | PC4 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 0 PANT VASTI | 0 | 0 | PANT VASTI | W | 86 M | 72 P | PC4 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 0 KHANOTA | 0 | 0 | HARIJAN VASTI | W | 125 L | 0 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 0 MALAD | 0 | 0 | HARIJAN VASTI | W | 125 L | 0 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 0 RAJEGAON | 0 | 0 | HARIJAN VASTI | W | 125 L | 0 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 0 LINGLI | 0 | 0 | HARIJAN VASTI | W | 125 L | 0 P | PC4 | SUBSURFACE | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 7 PEDGAON | 80 | 0 | V | V | 748 L | 25 P | PC3 | SUBSURFACE | 9.9 | 0 | 9.1 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | |
| 0 | 10 PUNE | DAUND | 7 | 7 KASURDI | 0 | 0 | GAIKNAD VASTI | W | 425 L | 10 P | PC3 | SUBSURFACE | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | HAVELI | 2 | 0 MADHALAMA | 0 | 0 | W | W | 0 M | 46 P | PC3 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | HAVELI | 2 | 0 BHILLA WASTI | 0 | 0 | BHILLA WASTI | W | 120 M | 46 P | PC3 | SUBSURFACE | 7 | 0 | 3.45 | 0.07 | 0.62 | 0.71 | 1.15 | |
| 0 | 10 PUNE | HAVELI | 2 | 0 TALEKARWASTI | 0 | 0 | TALEKARWASTI | W | 120 L | 25 P | PC3 | SUBSURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | INDAPUR | 8 | 8 SARDEWAD | 126 | 0 | V | V | 1833 M | 30 P | PC3 | SURFACE | 286.64 | 42.02 | 23.21 | 275.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | INDAPUR | 8 | 0 DESHMUKH | 0 | 0 | DESHMUKH | W | 150 M | 56 P | PC3 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | INDAPUR | 8 | 0 DEMDEKAR | 0 | 0 | DEMDEKAR | W | 150 M | 56 P | PC3 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | INDAPUR | 8 | 0 MARKAR VASTI | 0 | 0 | MARKAR VASTI | W | 232 M | 56 P | PC3 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | INDAPUR | 8 | 0 CHAPPAN | 0 | 0 | CHAPPAN | W | 800 M | 56 P | PC3 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | INDAPUR | 8 | 0 LALPURI | 0 | 0 | LALPURI | W | 141 M | 56 P | PC3 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | INDAPUR | 8 | 0 NETKE VASTI | 0 | 0 | NETKE VASTI | W | 272 M | 56 P | PC3 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 BRAHMANG | 103 | 0 | 0 | V | V | 0 M | 65 P | PC2 | SUBSURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 BASARAPUR | 121 | 0 | 0 | VITTALWADI | W | 9368 M | 20 P | PC2 | SURFACE | 78.38 | 13.83 | 62.88 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 | 0 KIWAT | 109 | 0 | V | V | 0 M | 0 P | PC2 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 | 0 SHINDIVAD | 108 | 0 | V | V | 0 M | 20 P | PC2 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 | 0 NAMACHIWADI | 0 | 0 | NAMACHIWADI | W | 0 M | 0 P | PC2 | SURFACE | 18.7 | 3.3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 | 0 RAMOSHIWADI | 0 | 0 | RAMOSHIWADI | W | 0 M | 20 P | PC2 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 | 0 SUBHEDAR | 0 | 0 | SUBHEDAR | W | 0 M | 0 M | PC2 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | BHOR | 11 | 74 VADHANE | 74 | 0 | V | V | 430 M | 86 P | PC1 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 BHUJANEMA | 0 | 0 | BHUJANEMA | W | 0 M | 133 P | PC1 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 DHAMANKHI | 0 | 0 | DHAMANKHI | W | 0 M | 133 P | PC1 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 KALDARA | 0 | 0 | KALDARA | W | 0 M | 133 P | PC1 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 BENDMALA | 0 | 0 | BENDMALA | W | 0 M | 133 P | PC1 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 BENDMALA | 0 | 0 | BENDMALA | W | 0 M | 133 P | PC1 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 KARADDARA | 0 | 0 | KARADDARA | W | 0 M | 133 P | PC1 | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 BITAKARMA | 0 | 0 | BITAKARMA | W | 0 M | 133 P | NC | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 MAJIMALA | 0 | 0 | MAJIMALA | W | 0 M | 133 P | NC | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 HIRVARKAR | 0 | 0 | HIRVARKAR | W | 0 M | 133 P | NC | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 GABANDEMA | 0 | 0 | GABANDEMA | W | 0 M | 133 P | NC | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 134 LONI | V | 0 | 1550 M | 133 P | 0 M | 133 P | NC | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 MAGASWAS | 0 | 0 | MAGASWAS | W | 0 M | 133 P | NC | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 PUNE | AMBEGAON | 0 | 0 BANDHARA | 0 | 0 | BANDHARA | W | 0 M | 133 P | NC | SURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

CO8

ANNEXURE-III

LIST OF UNCOVERED HABITATIONS OF CAP 99 AS ON 01.04.2006 (BASE LIST FOR COVERAGE OF HABITATIONS UNDER BHARAT NIRMAN)

| SR. NO. | DIST. | BLOCK | PANCHAYAT | VILLAGE | HABITATION | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.1999 (NCIPC) | COVERAGE YEAR | MEASURE TAKEN | AGENCY (ZP MJP, GSDA, VWSCL) | SOURCE OF FUND (ARWSP, MNP etc.) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.2005 (NCIPC) |
|---------|-------|-------|-----------|---------|------------|---|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ANNEXURE- IV

HABITATION INCLUDED IN ONGOING SCHEMES IMPLEMENTED BY MJP OF UNCOVERED HABITATIONS OF CAP 99 FROM BASE LIST AS ON 01.04.2006 (Rs. In Lakh)

| SR.N.O. | DIST. | BLOCK | PANCHAYAT | VILLAGE | HABITATION | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.1999 (NCIPC) | COVERAGE YEAR | MEASURE TAKEN | AGENCY (ZP MJP, GSDA, VWSCL) | SOURCE OF FUND (ARWSP, MNP etc.) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.2005 (NCIPC) | ESTIMATED COST OF SCHEME | SOURCE OF FUND | EXPENDITURE UP TO 1.4.06 | FUND REQUIRED FOR COMPLETING THE SCHEME | WHETHER FUNDS ARE AVAILABLE FOR COMPLETING THE SCHEME | IF FUNDS NOT AVAILABLE PROBABLE SOURCE OF FUND | EXPECTED DATE OF COMPLETION |
|---------|-------|-------|-----------|---------|------------|---|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

104

ANNEXURE-V

**HABITATIONS INCLUDED IN ONGOING SCHEMES IMPLEMENTED BY ZPVWSC OF UNCOVERED HABITATIONS OF CAP 99 FROM BASE LIST AS ON
01.04.2006**

| SR. NO. | DIST. BLOCK | PANCHAYAT | VILLAGE | HABITATION AS ON 1.4.1998 (NC/PC) | CATEGORY OF HABITATION AS ON YEAR 1.4.1998 (NC/PC) | MEASURE TAKEN | AGENCY (ZP, MJP, GSDA ,WWSC) | SOURCE OF FUND AS ON (ARWSP, MNP etc.) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4/2005 (NC/PC) | ESTIMATED COST OF SCHEME | SOURCE OF FUND | EXPENDITURE UP TO 1.4.06 | Funds REQUIRED FOR COMPLETING THE SCHEME | (Rs. In Lakh) | | | | |
|------------|----------------|-----------|---------|--|--|------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

ANNEXURE-VI
**HABITATION INCLUDED IN NON FUNCTIONING SCHEMES FOR THE NEED OF REPAIRS & MAINTENANCE OF UNCOVERED HABITATIONS OF CAP 99 FROM BASE LIST AS ON
01.04.2006**

| SR. NO. | DIST. BLOCK | PANCHAYAT | VILLAGE | HABITATION AS ON 1.4.1998 (NC/PC) | CATEGORY OF HABITATION AS ON YEAR 1.4.1998 (NC/PC) | MEASURE TAKEN | AGENCY (ZP, MJP, GSDA ,WWSC) | SOURCE OF FUND AS ON (ARWSP, MNP etc.) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4/2005 (NC/PC) | REASON FOR NON FUNCTIONI NG OF SCHEME | COST REQUIRED FOR BRINGING THE SCHEME IN WORKING CONDITION (RS. IN LAKH) | EXPECTED LPCD WATER SUPPLY AFTER REPAIRS (RS. IN LAKH) | EXPECTED PERIOD OF FUNCTIONING AFTER REPAIRS | | | |
|------------|----------------|-----------|---------|--|--|------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |

CoR

ANNEXURE-VII

| HABITATIONS LIKELY TO BECOME FC AFTER TAKING SOURCE STRENGTHENING MEASURES OF UNCOVERED HABITATIONS OF CAP 99 FROM BASE LIST AS ON 01.04.2006 | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-----------|---------|--|--|------------------|---------------------------------------|--|
| SR. NO. | DIST | BLOCK | PANCHAYAT | VILLAGE | HABITATION YEAR AS ON 1.4.1999 (NC/PC) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.1999 (NC/PC) | MEASURE TAKEN | AGENCY (ZP,MUP,G SDA,VWS/C) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.2005 (NC/PC) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | 15 |

| HABITATIONS WHERE NEW SCHEMES ARE REQUIRED TO BE TAKEN OFF UNCOVERED HABITATIONS OF CAP 99 FROM BASE LINE LIST AS ON 01.04.2006 | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|---------|--|--|------------------|---------------------------------------|--|
| SR. NO. | DIST | BLOCK | PANCHAYAT | VILLAGE | HABITATION YEAR AS ON 1.4.1999 (NC/PC) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.1999 (NC/PC) | MEASURE TAKEN | AGENCY (ZP,MUP,G SDA,VWS/C) | CATEGORY OF HABITATION AS ON 1.4.2005 (NC/PC) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | 14 |